

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल 2020

विषय:-कोविड-19 वायरस के प्रकोप से निपटने हेतु पुलिस कर्मियों के प्रयोगार्थ पी०पी०ई० किट आदि अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

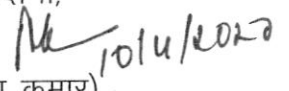
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उ०प्र० के पत्र संख्या-तीन/ख-85-(कोरोना-प्रोटेक्शन)/2020, दिनांक 04.04.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 वायरस के प्रकोप से निपटने हेतु पुलिस कर्मियों के प्रयोगार्थ पी०पी०ई० किट व अन्य आवश्यकताओं जैसे-सेनेटाइजर, डिस्पोजल मास्क/ग्लव्स आदि के क्रय के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹० 47,33,00,000/- (रुपये सैतालिस करोड़ तैतीस लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से** के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) डिस्पोजल मास्क के स्थान पर प्रत्येक पुलिसकर्मी को कपड़े के 02 मास्क, जो प्रतिदिन धोने के पश्चात पुनः उपयोग हो सकते हैं, को क्रय किया जाए।
- (2) पी०पी०ई० किट के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत "Guidelines on Rational use of Personal Protective Equipment" के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- (3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

 (रेणुका कुमार)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1) / एक-10-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस, मुख्यालय, लखनऊ को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
5. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
7. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (संजय गोयल)
 सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-27/04/2020

प्रेषण संख्या:- 175
आवंटन आदेश संख्या:- 022-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2534-अपर पुलिस महानिदेशक - मु0 , लखनऊ-01-a	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़


(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन